20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ,ग्वालियर R 3940 II-16

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी

दिनांक 22.11.16 को श्री आर० के० बाजपेयी अभि० द्वारा प्रस्तुत/ 22-11-16 SO

571 / 22-11-16

1. श्री प्रकाश
2. ज्ञानप्रकाश
3. देवेन्द्र प्रकाश पुत्रगण जगदीश प्रसाद
4. वेकुन्ठनाथ पुत्र प्रयागदास निवासीगण ग्राम– मिर्जापुर हाल निवासी सगरा,खुर्द तहसील– हनुमना जिला– रीवा ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. संगमलाल तनय धर्मनारायण मिश्रा ग्राम–टुडियार तहसील –कारॉव जिला– इलाहाबाद उ0प्र.
2. राजकरण तनय पदमाक्ष प्रसाद पान्डेय ग्राम –सिगटी थाना व तहसील– हनुमना जिला– रीवा म0प्र0
3. रामेश्वर प्रसाद तनयम सुदर्शन प्रसाद मिश्रा
4. हिन्छलाल तनय रामगरीब मिश्रा निवासी गण ग्राम– सगरा कलॉ तहसील– हनुमना जिला– रीवा —— अनावेदकगण

आर.वाजपेयी

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 860/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–11–2016 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है:–

1.यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3940–दो/16 एवं निगरानी 93–दो/2017 (जिला–रीवा)

श्रीप्रकाश विरुद्ध संगमलाल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/2/19	उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग जिला रीवा द्वारा पारित दिनांक 09–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि संगमलाल ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि ग्राम सगरा की भूमि नं0 224 अंश रकवा 1.50 एक एवं भूमि नं0 227 रकवा 13.70 एक का खसरा सुधार किया जाये। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण कमांक 29/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02–8–97 को अभिलेख सुधार किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभगीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 52/अ–6–अ/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 15–7–2014 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक 02–8–97 निरस्त किया तथा प्रकरण कमांक 56/ए–74/2008–09 04–7–09 के अनुसार अभिलेख अद्यतन करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक संगमलाल आदि ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील पेश की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 09–11–16 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं प्रकरण में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का	

अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 05–12–74 के आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार ने भूमिस्वामी नही माना बल्कि कब्जेदार माना। दिनांक 31–10–83 को अनुविभागीय अधिकारी ने कजा माना परन्तु भूमि शासन की मानी तथा संहिता की धारा 57 के तहत निर्णय हेतु कहा। प्रकरण क्रमांक 1/अ–1/1983–84 में विस्तृत जांच करने के पश्चात आदेश दिनांक 08–11–89 में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश की कोई अपील न शासन की ओर से की गई और न ही संगमलाल द्वारा की गई। व्यवहार न्यायालय से भी इस आदेश को शून्य घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08–11–89 अंतिम होकर आज भी प्रभाव में है। तहसील न्यायालय में आवेदकगण 1 से 3 के पिता एवं आवेदक क्रमांक 4 को पक्षकार बनाया गया था परन्तु उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना तहसीलदार की कार्यवाही से दर्शित नहीं होता है। दिनांक 02–8–97 का आदेश दिनांक संहिता की धारा 115/116 का था जिसमें आवेदक उमाकान्त, रामेश्वर आदि ने इंद्राज दुरूस्ती चाही परन्तु उक्त प्रकरण में आवेदक को पक्षकार ही नहीं बनाया जबकि आवेदक को आदेश दिनांक 8–11–89 से भूमिस्वामी घोषित किया गया था ऐसी स्थिति में आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। फिर भी संहिता की धारा 115–116 के तहत अनावेदक संगमलाल का नाम भूमिस्वाम का दर्ज करने के आदेश देने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है। तहसीलदार के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15–7–2014 से निरस्त किया जा चुका है। दिनांक 02–8–97 की निगरानी अपर कलेक्टर को दिनांक 16–2–09 के यहां तक जिसे अपर कलेक्टर ने समयबाधित मानकर निरस्त किया तथा इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो 2014 में निरस्त की और उसकी अपील अपर आयुक्त के समक्ष की गई। विवाद संहिता की धारा 115/116 का था शासन से संबंधित मुद्दा नहीं था।

4/ अनावेदक संगमलाल की ओर से भी एक और निगरानी अपर आयुक्त के किसी विवादित आदेश दिनांक 09/11/2016 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में की गई है जो आदेश दिनांक 04–1–17 से स्वीकार की गई थी। मण्डल के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष आवेदकगण श्री प्रकाश आदि ने रिट याचिका क्रमांक–899/2017 प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय

में अपने आदेश दिनांक 05/01/2018 से उक्त याचिका स्वीकार करते हुये मण्डल के आदेश को निरस्त किया जिसके पालन में दोनो निगरानी प्रकरणो में एक साथ सुनवायी की गयी।

5/ प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08/11/89 से भूमि पर स्वत्व का निराकरण करते हुये आवेदकगण श्री प्रकाश आदि का स्वत्व होना स्वीकार किया था और इस आदेश के होते हुये अनावेदकगण संगमलाल आदि कोई अधिकार अथवा स्वत्व नही रह जाता है। दिनांक 8–11–89 के आदेश को किसी वरिश्ठ न्यायालय अथवा सक्षम व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। आदेश दिनांक 8–11–89 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में चुनौती देने का रास्ता खुला हुआ है। अनावेदकगण के पक्ष में पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–7–2014 से निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई अधिकार सिद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से पाता हूं कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक एवं शासन की सुनवाई एवं विवेचना पूर्ण नही की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना एवं परिस्थितियों के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09/11/2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी पक्षों को सुनकर तथा रिकार्ड एंव पत्रावली का अध्ययन कर विवाद का यथाशीघ्र निराकरण करें। यह आदेश संबंधित प्रकरण कमांक निगरानी 93–दो/17 पर भी समान रुप से लागू होगा ।

5/2/19

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर